

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

विज्ञापन पट्ट अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र

## आवेदक की विवरणी

- आवेदक का नाम :- .....
- पिता का नाम :- .....
- वर्तमान पता :- .....
- वार्ड नं०
- मोबाईल नं०

## विज्ञापन पट्ट विवरणी

- विज्ञापन पट्ट का स्थान :- .....
- विज्ञापन पट्ट अधिष्ठापित करने की तिथि (DD-MM-YYYY)
- विज्ञापन पट्ट का आकार :- .....
- स्थान का प्रकार :-  
(क) सार्वजनिक भूमि  (ख) निजी भवन/भूमि

## भुगतान विवरणी

- विज्ञापन का दर :-
- भुगतेय राशि :-
- भुगतान की राशि :-

उपरोक्त दी गयी सारी जानकारी मेरे समझ में सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने पर सारी जवाबदेही मेरी होगी।  
आवेदक का हस्ताक्षर

## कार्यालय उपयोग के लिए

- विज्ञापन पट्ट का स्थल :-
- स्थल का प्रकार :-  
(क) निजी  (ख) सरकारी
- जोन :-
- दर
- भुगतेय राशि
- भुगतान की राशि
- मंतव्य

कर-संग्रहकर्ता का हस्ताक्षर

## प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती ..... से विज्ञापन पट्ट के आकार ..... के  
एवज में ..... रू० प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

पत्रांक :-

दिनांक :-

अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या :-

दिनांक :-

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम :- .....
2. पिता/पति का नाम :- .....
3. पता :- .....
4. मोबाईल नं० :-
5. वार्ड नं०
6. विज्ञापन पट्ट का स्थल :-
7. स्थल का प्रकार
7. जोन :-
8. विज्ञापन पट्ट का आकार :-
10. वर्ष  के लिये स्वीकृत
11. विज्ञापन शुल्क की विवरणी :-  
भुगतान की गई राशि :- ₹   
डिमाण्ड ड्राफ्ट नं०  दिनांक   
बैंक का नाम :-

## शर्त

1. स्वीकृत विज्ञापन पट्ट सड़क के फलैंक से कम से कम 5 फीट की दूरी पर लगाना होगा।
2. विज्ञापन पट्ट लगाते समय यातायात का ध्यान रखना आवश्यक होगा।
3. अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रति वर्ष कराना आवश्यक होगा।
4. अनुज्ञप्ति शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि किया जायेगा। शुल्क जमा नहीं होने पर अनुज्ञप्ति स्वतः समाप्त माना जायेगा।
5. आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अल्प सूचना पर विज्ञापन पट्ट हटाना आवश्यक होगा।
6. विज्ञापन पट्ट की संरचना से Visibility प्रभावित नहीं होना चाहिए।

अपर नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।